भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.3527
बुधवार, 2 अप्रैल, 2025 (12 चैत्र, 1947 (शक)) को उत्तरार्थ

दुग्ध सहकारी समितियां

3527 श्री केसरीदेवसिंह झालाः

क्या **सहकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कुल कितनी दुग्ध सहकारी समितियां हैं और इन सहकारी समितियों द्वारा राज्य-वार कितना दुग्ध उत्पादन किया जाता है;
(ख) एनडीडीबी का अधिदेश क्या है और इसका वार्षिक बजट कितना है; और
(ग) मंत्रालय द्वारा प्रशिक्षण, वित्त पोषण और अन्य सेवाओं के संदर्भ में दुग्ध सहकारी समितियों को किस प्रकार की सहायता प्रणाली प्रदान की जाती है?

उत्तर

सहकारिता मंत्रालय
(श्री अमित शाह)

(क): राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में 2,02,521 संगठित डेयरी सहकारी समितियां (DCS) थी और इन सहकारी समितियों द्वारा कुल दुग्ध प्रापण 60,654 हजार किलोग्राम प्रति दिन था । डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध प्रापण के राज्य-वार वितरण का ब्योरा संलग्नक-I में दिया गया है ।

(ख): राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) एक कॉरपोरेट निकाय है जिसे संसद के अधिनियम, 'राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987' के माध्यम से स्थापित किया गया है । यह राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है ।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के अधिदेश के अनुसार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गहन और राष्ट्रव्यापी आधार पर डेयरी और कृषि आधारित एवं सहयोगी संबंधित उद्योगों व जैविक के विकास के उद्देश्य से कार्यक्रमों का संवर्धन, नियोजन और आयोजन करता है तथा ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है । इसके अलावा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गहन और राष्ट्रव्यापी आधार पर प्रभावशाली रूप से सहकारी रणनीति को अपनाता है और उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए यथावश्यक ऐसे कदम उठाता है ।

वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के आय और व्यय की विवरणी संलग्नक-II में दी गई है ।

(ग): डेयरी सहकारी समितियों के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित योजनाओं का ब्योरा संलग्नक-III पर संलग्न है ।

*****

संलग्नक-I

क्षेत्र/राज्य	संगठित डेयरी सहकारी समितियों की संख्या	दुग्ध प्रापण (हजार किलोग्राम प्रति दिन)
आंध्र प्रदेश	6,138	1,976
असम	1,124	51
बिहार	27,376	2,196
छत्तीसगढ़	986	68
गोवा	181	41
गुजरात	20,220	30,501
हरियाणा	7,418	570
हिमाचल प्रदेश	1,130	98
जम्मू और कश्मीर	1,294	158
झारखंड	1,228	264
कर्नाटक	17,814	8,293
केरल	3,417	1,292
लद्दाख	3	1
मध्य प्रदेश	10,151	1,052
महाराष्ट्र	16,131	3,711
मणिपुर	196	2
मेघालय	21	11
मिजोरम	36	2
नागालैंड	52	3
ओडिशा	6,523	492
पुड्डुचेरी	109	56
पंजाब	7,372	2,008
राजस्थान	18,781	3,369
सिक्किम	687	50
तमिलनाडु	10,814	2,930
तेलंगाना	6,862	676
त्रिपुरा	168	5
उत्तर प्रदेश	28,108	353
उत्तराखंड	4,442	189
पश्चिम बंगाल	3,739	235
कुल	**2,02,521**	**60,654**
स्रोत: दुग्ध संघ/परिसंघ		

संलग्नक-II

आय और व्यय लेखा

(वर्ष समाप्ति: 31 मार्च, 2024 तक)

		(राशि मिलियन में)
विवरण	**2023-24**	**2022-23**
आय		
ब्याज	3,351.74	2,682.90
सेवा शुल्क	382.17	321.94
किराया और किराए पर देने से आय	257.72	236.69
लाभांश	169.84	347.05
अन्य आय	109.82	671.25
कुल (A)	**4,271.29**	**4,259.83**
व्यय		
ब्याज और वित्तीय शुल्क	1,127.38	710.37
कर्मचारियों को वेतन और लाभ	1,248.00	1,081.59
प्रशासनिक व्यय	203.89	195.78
अनुदान	161.8	325.66
अनुसंधान और विकास	83.96	123.58
परिसंपत्तियों का रखरखाव	276.53	233.83
प्रशिक्षण व्यय	53.55	236.5
कंप्यूटर व्यय	57.03	22.46
अन्य व्यय	274.83	94.88
मानक परिसंपत्ति, एनपीए और आकस्मिक व्यय के लिए प्रावधान	200	300
मूल्यह्रास	165.72	193.57
कुल (B)	**3,852.69**	**3,518.22**
कर पूर्व अधिशेष (C = A - B)	**418.6**	**741.61**
कम: कर प्रावधान		
चालू कर	193.1	226.22
स्थगित कर	4.54	23.28
कर उपरांत अधिशेष	**220.97**	**492.11**
कम : आवंटन हेतु		
विशेष आरक्षित निधि	137.9	29.92
सामान्य निधि में स्थानांतरित शेष	83.07	462.19
कुल (D = B + C)	**4,271.29**	**4,259.83**

संलग्नक-III

क. राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा डेयरी सहकारी समितियों के सहयोग हेतु कार्यान्वित केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं:-

1. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD)

1.1 राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का घटक-क

इस घटक-क को देशभर में कार्यान्वित किया जा रहा है । हालांकि, दिनांक 03 अगस्त, 2021 के प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) को दुग्ध उत्पादक कंपनियों (MPCs) और किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (SIA) के रूप में नामित किया गया है ।

योजना के उद्देश्य: शीत क्रृंखला अवसंरचना सहित गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए अवसंरचना का निर्माण और सशक्तीकरण द्वारा किसानों को उपभोक्ता से जोड़ना, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए डेयरी किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना, गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध प्रापण पर जागरुकता निर्माण करना; गुणवत्तापूर्ण दूध और दुग्ध उत्पादों पर अनुसंधान और विकास का समर्थन करना

- **परियोजना की अवधि:** इस परियोजना को वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि के दौरान कार्यान्वित किया जा रहा है और यह वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगा ।

1.2 डेयरी सहकारी समितियों (DTC) द्वारा डेयरी कार्य– राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का घटक-ख.

- भारत सरकार ने "डेयरी सहकारी समितियों (DTC) के माध्यम से डेयरी कार्य" परियोजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम योजना के घटक-ख के रूप में अनुमोदित किया है (दिनांक 03 अगस्त, 2021 को प्रशासनिक अनुमोदन जारी किया गया) ।
- **परियोजना के उद्देश्य**: "किसानों की संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाकर दूध और डेयरी उत्पादों के बिक्री में वृद्धि करना, डेयरी प्रसंस्करण सुविधाओं और विपणन अवसंरचना के उन्नयन तथा उत्पादक स्वामित्व वाले संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि द्वारा परियोजना क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों के लाभ वृद्धि में योगदान देना है ।"
- **परियोजना के घटक**:
  I. दुग्ध प्रापण अवसंरचना का सशक्तीकरण
  II. दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाएं और विनिर्माण सुविधाएं (दूध और दुग्ध उत्पादों और पशुचारा)
  III. विपणन अवसंरचना के लिए सहयोग
  IV. ICT अवसंरचना के लिए सहयोग
  V. उत्पादकता में वृद्धि- पोषक इंटरवेंशंस के माध्यम से
  VI. परियोजना निगरानी और अध्ययन
  VII. प्रशिक्षण और क्षमता विकास
- **परियोजना की अवधि:** यह परियोजना वर्ष 2021-22 से 2025-25 की अवधि के दौरान कार्यान्वित की जा रही है और यह वर्ष 2027-28 तक जारी रहेगी ।
- **परियोजना क्षेत्र** – NPDD योजना के घटक-ख को नौ राज्यों, यथा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में कार्यान्वित किया जा रहा है ।
- **कार्यान्वयन एजेंसी**: राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)
- **भागीदार संस्था**: दुग्ध संघ, बहुराज्य दुग्ध सहकारी समितियां, राज्य दुग्ध परिसंघ और दुग्ध उत्पादक कंपनियां ।
- **परियोजना परिव्यय**: इस परियोजना का कुल परिव्यय 1568.28 करोड़ रुपये है जिसमें जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) से ODA ऋण के रूप में 924.56 करोड़ रुपये, भारत

सरकार सहायता के अनुदान के रूप में 475.54 करोड़ रुपये और राज्य/भागीदार संस्थाओं के अंशदान के रूप में 168.18 करोड़ रुपये शामिल हैं ।

2. डेयरी कार्यकलाप करने वाली डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता– कार्यशील पूंजी ऋणों के लिए ब्याज अनुदान

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण डेयरी सहकारी समितियों द्वारा सामना की जा रही परिसमापन की समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में मौजूदा केंद्रीय क्षेत्रक योजना- "डेयरी कार्यकलाप करने वाले डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता (SDC&FPO)" योजना के अधीन घटक-ख के रूप में "कार्यशील ऋणों पर ब्याज अनुदान" के घटक की शुरूआत की है ।

इस योजना का कार्यान्वयन पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है ।

इस योजना का उद्देश्य उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं (POIs) को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दूध उत्पादकों को दूध के बिलों का समय पर भुगतान करने में मदद करना है । अत:, इस योजना के अधीन प्राप्त वित्तीय सहायता दुग्ध उत्पादकों को स्थिर बाजार पहुंच प्रदान कराने में डेयरी सहकारी समितियां को मदद मिलती है ।

इस योजना का ब्योरा निम्नानुसार है:

- दिनांक 4 अगस्त, 2021 के प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान इस योजना के लिए कुल 203 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान 500 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं । भारत सरकार ने अब तक इस योजना के कार्यान्वयन के लिए NDDB को 650.75 करोड़ रुपये आबंटित किया है ।
- इस योजना के अधीन POIs को कार्यशील पूंजी ऋणों पर 2% प्रति वर्ष की दर से ब्याज अनुदान प्रदान किया जा रहा है । इसके अलावा, शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान के लिए ऋण पुनर्भुगतान/ब्याज सेवा अवधि के अंत में 2% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज अनुदान देय है ।
- पात्र संगठन – दुग्ध परिसंघ, दुग्ध संघ, किसान स्वामित्व वाले दुग्ध उत्पादक कंपनियां, जैसे POIs
- शामिल उत्पाद – इस योजना के अधीन चार संरक्षित वस्तुएं – SMP, सफेद मक्खन, WMP, घी शामिल हैं ।
- परियोजना कार्यक्षेत्र – अखिल भारत

3. पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF)

तत्कालीन डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF) योजना को पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) योजना के साथ विलय कर दिया गया है । DIDF का ब्योरा निम्नानुसार है:

यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेयरी सहकारी समितियां किसानों के संवहनीय लाभ के लिए प्रतिस्पर्धी बनी रहें, भारत सरकार ने मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए नए प्रसंस्करण संयंत्र और विनिर्माण सुविधाओं के आधुनिकीकरण/सृजन के लिए नाबार्ड में 8000 करोड़ रुपये के कॉर्पस से डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF) को कार्यान्वित किया है ।

- **DIDF योजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:**
  - दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्रों और मशीनरी का आधुनिकीकरण करना तथा अधिक दुग्ध प्रसंस्करण के लिए अतिरिक्त अवसंरचना का निर्माण करना ।
  - अधिक डेयरी उत्पादों के उत्पादन द्वारा मूल्य वर्धन में वृद्धि हेतु अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता का सृजन करना ।

- डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों/उत्पादक स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली डेयरी संस्थाओं में दक्षता लाना जिससे दुग्ध उत्पादक किसानों को दूध का इष्टतम मूल्य मिल सके और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध की आपूर्ति हो सके ।
- उत्पादक स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले संस्थाओं को अपने दूध की हिस्सेदारी बढ़ाने में सहायता करना जिससे संगठित दुग्ध बाजार में ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को स्वामित्व, प्रबंधन एवं बाजार पहुंच के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें ।
- उत्पादक स्वामित्व एवं नियंत्रण वाले संस्थाओं को संगठित तरल दुग्ध बाजार में अग्रणी बनने के लिए अपनी स्थिति मजबूत करने तथा दुग्ध उत्पादकों को अधिक मूल्य प्राप्त करने में में सहायता करना ।

- **परियोजना क्षेत्र** – अखिल भारत
- **<u>कार्यान्वयन व्यवस्था</u>**: इस योजना का कार्यान्वयन एंड बॉरोवर्स (EBs) – राज्य दुग्ध परिसंघों, दुग्ध संघों, बहुराज्य सहकारी समितियों, दुग्ध उत्पादक कंपनियों और NDDB सहायक इकाइयों के माध्यम से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB)/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किया जा रहा है ।
- **<u>पात्र संस्था:</u>** राज्य दुग्ध परिसंघ, दुग्ध संघ, बहुराज्य सहकारी समितियां, दुग्ध उत्पादक कंपनियां, NDDB की सहायक इकाइयां, राज्य सहकारी/कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन/स्वयं सहायता समूह पात्र संस्थाएं हैं ।

4. राष्ट्रीय गोकुल मिशन

राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अधीन देश भर में वीर्य स्टेशनों की स्थापना, बुल मदर फार्म्स और दूध दुहने की स्वचालित सुविधाएं सहित देशी मवेशी प्रजनन के लिए अवसंरचना को बढ़ाने हेतु उठाए गए प्रमुख कदम निम्नानुसार हैं:

i. वंश परीक्षण और वंशावली चयन कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों का उत्पादन

उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों के उत्पादन के माध्यम से देशी पशुओं और भैंसों के आनुवंशिक सुधार के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय गोकुल मिशन (RGM) योजना के अधीन बड़े पैमाने पर वंश परीक्षण और वंशावली चयन कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई थी । आज की तारीख में देश भर में पशुओं और भैंसों की विभिन्न नस्लों के उच्च आनुवंशिक योग्यता वाले सांडों के उत्पादन के लिए 23 ऐसी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ।

II. जिनोमिक चयन:

बैलों और बछियों का उच्च सटीकता के साथ शीघ्र चयन करने के लिए जीनोमिक चयन, डीएनए आधारित उन्नत चयन पद्धति अपनाई जा रही है । देश में जीनोमिक चयन को कार्यान्वित करने के लिए NDDB ने NBAGR, NIAB और BAIF की सहभागिता से "GAUCHIP" (स्वदेशी मवेशियों की नस्लों और उनके क्रॉस की जीनोटाइपिंग के लिए उपयुक्त जीनोटाइपिंग चिप) और MAHISHCHIP (भारतीय भैंसों की जीनोटाइपिंग के लिए उपयुक्त जीनोटाइपिंग चिप) विकसित की है ।

जीनोटाइपिंग गतिविधियाँ राष्ट्रीय डेयरी योजना- I के अधीन शुरू की गई थी जिसे RGM के राष्ट्रीय बोवाइन जीनोमिक केंद्र-स्वदेशी नस्ल कार्यक्रमों के अधीन आगे चलाया जा रहा है । इस परियोजना में स्वदेशी मवेशी नस्लों के जीनोमिक चयन के लिए आवश्यक संदर्भ संख्या स्थापित की गई है । वर्तमान में तीव्र आनुवंशिक सुधार के लिए मुर्राह, मेहसाणा, HF क्रॉसब्रेड, जर्सी क्रॉसब्रेड, गिर, साहीवाल और कांकरेज नस्लों के युवा बैल बछड़ों को वीर्य स्टेशन के लिए एकीकृत जीनोटाइपिंग चिप का उपयोग करके जीनोमिक प्रजनन मूल्यों के आधार पर कम उम्र में चुना जाता है ।

III. राष्ट्रीय दूध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम (NMRP)

मानक संचालन प्रक्रियाओं का उपयोग करके प्रदर्शन रिकॉर्डिंग का विस्तार करने और भ्रूण उत्पादन के लिए बैल की माताओं और दाताओं के रूप में सबसे उत्कृष्ट पशुओं का चयन करने के लिए उन क्षेत्रों में एक राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय दूध रिकॉर्डिंग कार्यक्रम शुरू किया गया है जहां PT और PS परियोजनाएं चालू नहीं हैं । इस कार्यक्रम के अधीन देश में 40 NMRP इकाइयां अनुमोदित की गई है ।

IV. वीर्य केंद्रों को मजबूत बनाना

इस परियोजना का लक्ष्य DAHD, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रियाओं और न्यूनतम मानक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कृत्रिम गर्भाधान के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोग मुक्त फ्रोजन वीर्य की खुराक का उत्पादन बढ़ाना है । राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अधीन देश में 47 वीर्य स्टेशनों को मजबूत करने के प्राप्त प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं ।

V. त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: सेक्स-सॉर्टेड वीर्य का उपयोग करके IVF एंब्रायो के उत्पादन से गर्भधारण (ABIP-IVF)

उच्च उपज देने वाले पशुओं के प्रजनन के माध्यम से दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा IVF तकनीक को किफायती बनाने और इस प्रकार किसानों के बीच IVF तकनीक की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने अपनी RGM योजना के अधीन त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम (ABIP-IVF) परियोजना को मंजूरी दी है । इस परियोजना में किसानों के घर पर ही रियायती दर पर भ्रूण स्थानांतरण सेवाएं प्रदान की जा रही हैं । RGM के इस कार्यक्रम के अधीन लगभग 16400 IVF गर्भधारण की स्थापना के लिए 28 कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है ।

VI. त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम: सेक्स-सॉर्टेड वीर्य का उपयोग करके सुनिश्चित गर्भधारण (ABIP-SS)

इस परियोजना का लक्ष्य देशी नस्लों सहित पशु और भैंसों की विभिन्न नस्लों की मादा बछड़ों की अधिक संख्या के उत्पादन के लिए लिंग-निर्धारण वीर्य के उपयोग को बढ़ावा देना है जिसकी सटीकता 90% है, "त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम- सुनिश्चित गर्भावस्था के लिए लिंग-निर्धारण वीर्य का उपयोग (ABIP-SS)" को मंजूरी दी गई । यह कार्यक्रम देश भर के 21 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

VII. नस्ल गुणन फार्म की स्थापना

इस परियोजना का उद्देश्य मवेशी और भैंसों के प्रजनन के लिए उद्यमियों को विकसित करना तथा लिंग-विभेदित वीर्य या IVF तकनीक का उपयोग करके उत्पादित देशी नस्लों के रोग-मुक्त, उच्च उपज देने वाले पशु उपलब्ध कराना है । BMF की स्थापना के लिए देशभर से प्राप्त 169 लाभार्थियों के आवेदनों को अनुमोदित किया गया है ।

VIII. पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य एवं विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट (AHELP)

किसानों में जागरुकता पैदा करने के लिए विभाग ने "A HELP" (पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य एवं विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट) को शामिल किया है । A-HELP स्थानीय पशुधन रिसोर्स पर्सन और पशुपालकों और पशु चिकित्सा सेवाओं के बीच संपर्क बिंदु के रूप में कार्य कर रहा है । इसके अलावा, किसानों के घर-घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ देने के लिए विभाग द्वारा MAITRIs (ग्रामीण भारत में बहुउद्देशीय एआई तकनीशियन) को शामिल किया जा रहा है । MAITRIs पशुओं के टीकाकरण, प्राथमिक उपचार, पशु पोषण सलाह और किसान जागरुकता का काम भी संभाल रहे हैं ।

5. राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)

गुणवत्ता वाले चारा बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए NDDB द्वारा एनएलएम योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है । इस योजना में बीज उत्पादकों को प्रजनक बीजों के लिए 250 रुपये प्रति किलोग्राम, बुनियादी बीजों के लिए 150 रुपये प्रति किलोग्राम और प्रमाणित बीजों के लिए 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक की राशि सहित प्रोत्साहन शामिल हैं । इस पहल के अधीन 9 राज्यों में 19 डेयरी सहकारी समितियों को उन्नत चारा बीजों के उत्पादन और वितरण के लिए शामिल किया गया है । इस प्रकार उत्पादित चारा बीजों को योजना के अधीन मामूली कीमत पर डेयरी किसानों को वितरित किया जा रहा है ।

6. चारा प्लस किसान उत्पादक संगठन (FPOs):

चारे की उपलब्धता बढ़ाने और हरे चारे/साइलेज, सूखे चारे और संबंधित उत्पादों के लिए संगठित आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने हेतु व्यापक '10000 FPOs योजना' के अधीन देश के 19 राज्यों में 100 चारा प्लस FPOs स्थापित किए गए हैं । इस योजना के अधीन डेयरी सहकारी समितियों को क्लस्टर आधारित व्यवसाय संगठन (CBBO) के रूप में शामिल किया गया है । इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक CBBO को पांच साल की अवधि में प्रति FPO 25.00 लाख रुपये की सीमा तक 'गठन और इंक्यबेशन लागत' का भुगतान किया जाता है और प्रत्येक FPO को अनुदान के रूप में तीन साल की अवधि में 18.00 लाख रुपये तक प्रदान किए जाते हैं । उपर्युक्त के अलावा, FPO के प्रत्येक किसान सदस्य के लिए 2000 रुपये तक का मैचिंग इक्विटी अनुदान भी योजना के अधीन उपलब्ध है जिसमें प्रति FPO 15 लाख रुपये इक्विटी अनुदान की सीमा है । चारा प्लस FPOs द्वारा उत्पादित चारा डेयरी किसानों को किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराया जा रहा है ।

ख. NDDB द्वारा अपने संसाधनों से कार्यान्वित योजनाएं

1. NDDB की उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं के विपणन कार्यकलापों को मजबूत करने के लिए सहायता योजना

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने मार्च, 2021 में अपनी विपणन योजना - "उत्पादकों स्वामित्व वाली संस्थाओं के विपणन कार्यकलापों को मजबूत करने के लिए सहायता" की घोषणा की है । यह योजना छोटी डेयरी सहकारी समितियों के लिए तैयार की गई थी जिन्हें विपणन सहायता की आवश्यकता है । इस योजना को वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। इस योजना का कुल परिव्यय लगभग 30 करोड़ रुपये है जिसमें NDDB द्वारा 18.77 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता शामिल है ।

योजना के अंतर्गत घटक नीचे दिए गए हैं:

i. अवसंरचना सहायता: दुग्ध पार्लर और शीत क्रृंखला अवसंरचना की स्थापना ।
ii. ब्रांड विकास और संवर्धन: ब्रांड संवर्धन के लिए पेशेवर ब्रांडिंग/विपणन एजेंसी की तैनाती और वित्तीय सहायता
iii. पेशेवर सहायता- विपणन पेशेवर के माध्यम से सलाहकार सहायता के साथ-साथ बिक्री और विपणन पेशेवरों को नियुक्त करने के लिए वित्तीय सहायता
iv. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
v. बाजार अनुसंधान अध्ययन ।

2. NDDB की "आशाजनक उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को पुन: ऊर्जान्वित करना"

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) ने वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए "आशाजनक उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं (POIs) को पुन:ऊर्जान्वित करना" की एक योजना तैयार की है, ताकि होनहार POIs को उनके समग्र व्यावसायिक संचालन को मजबूत करने में सहायता दी जा सके जिससे उनकी बाजार हिस्सेदारी बढ़े और सभी हितधारकों को लाभान्वित करने वाली आत्मनिर्भर संस्था बनाई जा सके ।

RPOI योजना के अधीन NDDB बोर्ड द्वारा 9600 लाख रुपये का कुल परिव्यय अनुमोदित किया गया था जिसमें 3600 लाख रुपये की अनुदान सहायता और 6000 लाख रुपये का ब्याज मुक्त सुरक्षित ऋण शामिल है । यह सहायता निम्नलिखित घटकों के लिए प्रदान की जाती है:

क) दुग्ध प्रापण कार्यकलापों का सशक्तीकरण और संस्था निर्माण
ख) संयंत्र कुशलता में सुधार
ग) विपणन कार्यों का सशक्तीकरण
घ) श्रमबल सहायता

ङ) प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

3. प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम

इसके अलावा, NDDB अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर डेयरी सहकारी समितियों के सभी हितधारकों, अर्थात् दुग्ध उत्पादक सदस्यों, डेयरी सहकारी प्रबंधन समिति के सदस्यों और कर्मचारियों, थोक दुग्ध कूलर ऑपरेटरों, दुग्ध संघ बोर्ड और कर्मचारियों, आदि के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है । इसके अलावा, ग्रामीण युवाओं को कृत्रिम गर्भाधान पर प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे सहकारी समिति की वैज्ञानिक पशु प्रजनन कार्यकलापों में योगदान दे सकें ।

NDDB प्रशिक्षण डेयरी और पशुपालन, गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित क्षेत्रों में विशेषीकृत हैं और संस्था निर्माण और सहकारी शासन पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं ।

ग. श्वेत क्रांति 2.0 लाने के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहल

सहकारिता मंत्रालय ने सहकारिता आधारित "श्वेत क्रांति 2.0" की शुरुआत की है जिसे "पशुपालन और डेयरी विभाग के राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2.0 (NDPP 2.0) के अधीन वित्तीय सहायता के साथ आच्छादित क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करके और संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में डेयरी सहकारी समितियों की दुग्ध खरीद को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाने" के उद्देश्य से सहकारी आच्छादन का विस्तार करना, रोजगार सृजन और महिला सशक्तीकरण को लक्षित है ।

श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (SOP) दिनांक 19.09.2024 को लॉन्च की गई है । कुल मिलाकर, पांचवें वर्ष अर्थात वर्ष 2028-29 के अंत तक डेयरी सहकारी समितियों द्वारा दुग्ध प्रापण 1007 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक पहुंचने का अनुमान है । यह लक्ष्य दो आयामी रणनीतियों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा:

i. डेयरी सहकारी समितियों द्वारा आच्छादन में विस्तार
ii. डेयरी सहकारी समितियों की पहुंच को सघन करना

उपरोक्त उद्देश्य के लिए सहकारिता मंत्रालय ने अनाच्छादित पंचायतों/गांवों में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियों (DCS) की स्थापना करने और 46,422 मौजूदा DCS को सशक्त करने की परिकल्पना की है । इन DCS को मौजूदा दुग्ध मार्गों का विस्तार करके या नए दुग्ध मार्ग तैयार करके बाजार लिंकेज प्रदान किया जाएगा। NDDB श्वेत क्रांति 2.0 से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों का समन्वय करेगा ।

*****